Sent mail

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला पंचायत प्रशाखा)

मतदान दलों एवं गश्ती दलों का डिस्पैच

—:: आदेश ::—

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक–5622 दिनांक–09.06.2016 के आलोक में पंचायतों के रिक्त पदों पर निर्वाचन दिनांक–28.07.2016 एवं मतगणना दिनांक–30.07.2016 को होना है। मतदान का कार्य ई0भी0एम0 से होगा। प्रखंडवार मतदान दलों/गश्ती दलों के डिस्पैंच केन्द्र का नाम एवं मतदान दलों/गश्ती दलों के योगदान की तिथि निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	प्रखंड का नाम	मतदान की तिथि	मतदान द लों के डिस्पैच केन्द्र का नाम	मतदान दलों के योगदान की तिथि	गश्ती दलों के डिस्पैच केन्द्र का नाम	गश्ती दलों के योगदान की तिथि
1	3	4	5	6	7	8
1.	किरतपुर	28.07.2016	+2 गाँधी कोशी प्रादेशिक उच्च विद्यालय, रसियारी	26.07.2016	जनता उच्च विद्यालय, शिवनगरघाट	27.07.2016
2.	बिरौल	28.07.2016	प्रखंड मुख्यालय, बिरौल	26.07.2016	प्रखंड मुख्यालय, बिरौल	27.07.2016
3	बहादुरपुर	28.07.2016	प्रखंड मुख्यालय, बहादुरपुर	26.07.2016	प्रखंड मुख्यालय, बहादुरपुर	27.07.2016

मतदान दल एवं गश्ती दल उक्त निर्धारित तिथि को संबंधित प्रखंडों के अन्तर्गत निर्धारित मतदान दलों/गश्ती दलों के डिस्पैच केन्द्र पर अपना योगदान देंगे। मतदान दलों/गश्ती दलों के योगदान के पश्चात उन्हें सामग्री उपलब्ध कराने तथा ससमय उनका डिस्पैच सुनिश्चित करने, बज्रगृह संग्रहण केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र पर सारी व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कराने हेतु प्रखंडवार व्यवस्था के प्रबंधन के वरीय प्रभार/प्रभारी पदाधिकारी के रूप में निम्नप्रकार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है:–

क्रमांक	प्रखंड का नाम	डिस्पैच केन्द्र के वरीय प्रभारी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	डिस्पैच केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची का नाम एवं पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	किरतपुर	मो0 सफीक, अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल	श्री पी0 एन0 झा, परियोजना निदेशक, आत्मा, दरभंगा	श्री देवानन्द कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, किरतपुर	
2	बिरौल	श्री इन्द्रवीर कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल	श्री अमन कुमार सुमन, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल	श्री रजत किशोर सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल	
3	बहादुरपुर	श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा	श्री शंकर शरण ओमी, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा	श्री अविनाश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर	

मतदान दलों/गश्ती दलों के डिस्पैच केन्द्र के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी अग्रिम रूप से अपने प्रखंडों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लेगें कि मतदान दल एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी के डिस्पैच के लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। यदि किसी व्यवस्था में किसी प्रकार की त्रुटि है तो वे अपने पर्यवेक्षण में ससमय सारी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। विशेष रूप से वे निम्न बिन्दुओं पर किये गये कार्य का अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित कर लेगें कि निम्न व्यवस्था उनसे संबंधित डिस्पैच केन्द्र पर सुनिश्चित कर ली गई है :–

- मतदान दल एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी के योगदान के लिए स्थल का चयन।
- योगदान स्थल पर ससमय टेबुल, कुर्सी, माईक इत्यादि की व्यवस्था।
- मतदान दलों/गश्ती दलों का योगदान प्राप्त करने के लिए कर्मी की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था।
- मतदान कार्य में नियुक्त कर्मी/पदाधिकारी को अग्रिम वितरण हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था।
- मतदान दलों/गश्ती दलों के योगदान स्थल पर कार्मिको को सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्त की व्यवस्था।
- मतदान दल/गश्ती दल के प्रस्थान के लिए वाहनों की व्यवस्था एवं मतदान दलों एवं गश्ती दलों के लिए वाहन टैंगिंग हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था।

डिस्पैच केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी डिस्पैच की तिथि को ससमय डिस्पैच केन्द्र पर उपस्थित रह कर अपने पर्यवेक्षण में कार्मिकों का योगदान, कार्मिकों को अग्रिम वितरण एवं सामग्री वितरण तथा उनके डिस्पैंच की सारी व्यवस्था ससमय सुनिश्चित करायेंगे तथा लगातार अधोहस्ताक्षरी को कार्य के प्रगति के संबंध में अवगत कराते रहेंगे साथ हीं **संलग्न चेक लिस्ट** के अनुसार सारा कार्य नियमानुसार ससमय सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी एवं प्रभारी पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि मतदान के पश्चात पोल्ड ई0वी0एम0 को बज्रगृह में रखने हेतु पदाधिकारियों/ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति ससमय सुनिश्चित कर ली गई है तथा संग्रहण की तिथि को संग्रहण केन्द्र पर उपस्थित रह कर यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि मतदान के पश्चात पोल्ड ई0वी0एम0 संग्रहण का कार्य सही ढंग से बिना किसी रूकावट के सम्पन्न हो।

दिनांक–30.07.2016 को मतगणना निर्धारित है। उपरोक्त वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी मतगणना से संबंधित सारे कार्यो की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना से संबंधित सारी तैयारी ससमय पूर्ण हों ताकि मतगणना का कार्य बिना किसी बाधा ससमय पूर्ण हो सके।

सभी संबंधित इस आदेश का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक–1577/ दिनांक–23 वीं अप्रैल 2016

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, किरतपुर, बिरौल एवं बहादुरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर/बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– किरतपुर, बिरौल एवं बहादुरपुर प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

पंचायत आम निर्वाचन, 2016

प्रखंड स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा एवं तैयारी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियें के लिए चेक लिस्ट

➢ **मतदाता सूची** :–
- ❖ मतदाता सूची की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता।
- ❖ मतदाता सूची का विखंडीकरण एवं उस पर चेक स्लिप लगाया जाना।

➢ **सामग्री की तैयारी** :–

विशिष्ट सामग्री का पैकेट (मतदान दल के लिए)
- ❖ मतदाता सूची।
- ❖ प्रभेदक चिन्ह।
- ❖ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची।
- ❖ मतदान केन्द्र के लिए आवंटित संबंधित क्रमांक का ई0वी0एम0।

विशिष्ट सामग्री का पैकेट (गश्ती दल के लिए)
- ❖ निविदत मतपत्र का इंडेट के अनुरूप पैकेट।
- ❖ पेपर सील।

सामान्य सामग्री का थैला (मतदान दल के लिए)
- ❖ सामग्री के चेक–लिस्ट के अनुसार आवश्यक संख्या में थैले की उपलब्धता एवं सभी सामग्री उस थैले में उपलब्ध है अथवा नहीं, इसकी जाँच। ताकि किसी भी कर्मी के द्वारा सामग्री की कमी की शिकायत नहीं किया जा सके।

➢ **मतदान दल एवं गश्तीदल के योगदान तथा उन्हें सामग्री उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था** :–
- ❖ योगदान स्थल का निर्धारण।
- ❖ योगदान स्थल का सत्यापन ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान दल एवं गश्ती दल उक्त स्थल पर सहजता पूर्वक योगदान दे सके तथा उन्हें सामग्री उपलब्ध करायी जा सकें।
- ❖ योगदान स्थल पर कार्मिकों के बैठने के लिए टेबुल–कुर्सी अन्य उपस्कर आदि तथा आवश्यकतानुसार माईक आदि की व्यवस्था (न्युनतम व्यय के आलोक में)।
- ❖ कार्मिकों/गश्ती दल दंडाधिकारियों का योगदान प्राप्त करने हेतु टीम का गठन।
- ❖ कार्मिकों को अग्रिम की राशि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक संख्या में निर्धारित राशि के पैकेट का निर्माण।
- ❖ अग्रिम वितरण हेतु कार्मिकों के टीम का गठन।
- ❖ सामग्री वितरण के लिए कार्मिकों के टीम का गठन।
- ❖ मतदान दल एवं गश्ती दल दंडाधिकारियों को सामग्री वितरण पश्चात उन्हें आवंटित मतदान केन्द्र पर ले जाने हेतु वाहन की व्यवस्था संबंधित सम्पूर्ण प्रबंधन।
- ❖ गश्ती दल दंडाधिकारियों/मतदान दल को मतदान केन्द्र पर पहुँचने तथा मतदान पश्चात बज्रगृह संग्रहण केन्द्र पर वापस आने हेतु मार्ग तालिका का निर्माण तथा सामग्री के साथ इसके वितरण की व्यवस्था।

- **पोल्ड ई0वी0एम0/सामग्री संग्रहण के लिए की जाने वाली व्यवस्था :–**
  - बज्रगृह का निर्माण।
  - बज्रगृह में पोल्ड ई0वी0एम0 एवं सामग्री रखे जाने हेतु मतदान केन्द्रवार जगह का निर्धारण।
  - संग्रहण के लिए काउंटर का निर्माण।
  - संग्रहण काउंटर पर पदाधिकारी/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तथा मजदूर की व्यवस्था।
  - बज्रगृह के प्रभारी के लिए संग्रहण पंजी का निर्माण।
  - संग्रहण केन्द्र से संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण।
  - संग्रहण केन्द्र के लिए आवश्यक पंजी एवं स्टेशनरी आदि की व्यवस्था।
  - संग्रहण केन्द्र के लिए विडियोग्राफी की व्यवस्था।
  - संग्रहण पश्चात बज्रगृह को मुहर बंद किये जाने हेतु पंजी (लॉग बुक) तथा सिलिंग मेटेरियल आदि की व्यवस्था।
  - बज्रगृह की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल की व्यवस्था।
  - बज्रगृह केन्द्र पर बुनियादी सुविधा, पर्याप्त रौशनी आदि की व्यवस्था।
  - बज्रगृह से संबंधित अन्य सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा एवं ससमय आवश्यक प्रबंधन।
- **मतगणना :–**
  - मतगणना के लिए मतगणना केन्द्र को चिन्हित किये जाने की स्थिति।
  - मतगणना केन्द्र का भौतिक सत्यापन तथा मतगणना केन्द्र का निर्माण।
  - मतगणना केन्द्र से संबंधित प्रस्ताव पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन की स्थिति।
  - मतगणना पटल का निर्माण तथा पटल पर आवश्यक संख्या में टेबुल, कुर्सी आदि की व्यवस्था।
  - मतगणना कार्मिकों के योगदान के लिए स्थल का निर्धारण तथा नियुक्ति पत्र देने हेतु की जाने वाली व्यवस्था।
  - मतगणना पटल पर मतगणना कर्मियों को सामग्री उपलब्ध कराने हेतु की जाने वाली आवश्यक व्यवस्था।
  - बज्रगृह केन्द्र से गणना पटल पर पोल्ड ई0वी0एम0 तथा आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने हेतु चार्ट का निर्माण।
  - मतगणना कर्मियों के लिए चाय, नाश्ता एवं भोजनादि की व्यवस्था।
  - मतगणना पश्चात मतगणना परिणाम की घोषणा के लिए की गयी व्यवस्था।
  - बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र की सुरक्षा की व्यवस्था।
- **प्रेक्षक :–**
  - प्रेक्षक के लिए सारी व्यवस्था।

नोट :– उपरोक्त चेक लिस्ट कार्य पर्यवेक्षण हेतु संक्षिप्त में चेक सूची है। जिला से प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि वे विशेष रूप से संबंधित प्रखंड में चुनाव कार्य सफलता पूर्वक त्रुटिविहीन तरीके से सम्पन्न कराने हेतु ससमय सारा कार्य अपने पर्यवेक्षण में सम्पन्न करायेंगे।

——— ::: ———